

अन्य पिछड़े वर्गों की शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए
प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

जागी दिनांक से ६ माह तक
पान्य रहेगा।

पुंछ 2986 B/21-99

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग सेन
आत्मज बलराम सेन निवासी ग्राम गोपालगंज वार्ड
जिला सागर संभाग सागर में राज्य मध्य प्रदेश
के निवासी हैं जो सेन जाति के हैं, जिसे मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-८-५/पंचोस/४/८४ दिनांक
२६ दिसम्बर १९८४ द्वारा अधिमान्य किया गया।
श्री बलराम सेन और/या उनका परिवार
म. प्र. के सागर जिला सागर में मूलतः निवास
करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री बलराम सेन
क्रीमिलेखर (सम्पन्न वर्ग, व्यक्तियों) सवर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख भारत
सरकार कानूनिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक ३६०/२-२२-९३ (स्था०) एस. सी. टी.
दिनांक ८-९-९३ द्वारा सूची के कालम ३ में तथा म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के
परिपत्र क्रमांक एफ-७-२६/९३/१ आ. प्र. दिनांक ८ मार्च १९९४ के साथ संलग्न परिशिष्ट
की अनुसूची के कालम -३ में किया गया है।



सील
दिनांक 20/12/99-१९९९

ब्रह्मसीलदार
20/सागर
प्राधिकृत आधिकारी का नाम
पद का नाम 12/99